# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—36/2016/223 (2016/00036)**

1. गुमान पुत्र सूरजकरण, **(फौत) नाम तर्क,**
2. नारायण पुत्र गुमान,
3. दुर्गालाल पुत्र गुमान,
समस्त जाति बावरी, निवासी ग्राम जूणदा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. शिवराज उर्फ श्योराज पुत्र भंवरलाल, जाति जाट, निवासी सरकारी स्कूल के पास, सांवतसर, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. रामलाल पुत्र धन्नाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 22.9.2015 अंतर्गत वाद संख्या 255/2015.**

**उपस्थितः—**

1. श्री शशिकांत जोशी, वकील अपीलांटस।
2. श्री सुण्डाराम जाट, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .

## निर्णय

**दिनांकः— 1.8.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत कृषि भूमि स्थित ग्राम जूणदा के वर्तमान खसरा संख्या 172 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा गत् खसरा संख्या 225 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि के बाबत् प्रस्तुत कर मुताबिक वादपत्र की इस्तदुआ अपने वाद पत्र को डिक्री करने का

निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9. 2015 द्वारा रेस्पोडेंटस/वादीगण का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया एकपक्षीय एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से तथा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत तथा विरूद्ध न्याय, नियम व रिकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते समय इस बिन्दू पर कतई ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष प्रश्नगत राजस्व वाद रेस्पो0/वादीगण द्वारा दिनांक 29.6.2015 को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी रोज विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 29.6.2015 से उक्त वाद पत्र को दर्ज रजिस्ट्री कर अपीलांट/प्रतिवादीगण पर नोटिस जारी कराये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त आदेशिका दिनांक 29.6. 2015 की अनुपालना में अधी0न्याया0 से दिनांक 9.7.2015 को नोटिस जारी हुए । पत्रावली पर मौजूद उक्त नोटिस की पुस्त का अवलोकन करने से पता चलता है कि उक्त तीनों नोटिस अपीलांटस के घर पर मौजूदगी एवं नोटिस लेने से इंकारी का अंकन करते हुए दो गवाहान क्रमशः रतनलाल व सुवाराम की मौजूदगी में तामील कुनिन्दा द्वारा चस्पानगी से तामील कराई गई है । किन्तु वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि नोटिस क्रमांक 642–44 विचारण न्याया0 से दिनांक 9.7.2015 को जारी तो हुए किन्तु उक्त नोटिस न्यायालय परिसर से बाहर ही नहीं गये एवं न्याया0 परिसर में ही रेस्पो0/वादीगण ने तामील कुनिन्दा से मिलीभगत कर अपने खास नजदीकी जानकारी दो गवाहान के हस्ताक्षर अंकित करवाकर उक्त तीनों नोटिस की पुस्त पर तामील संबंधी गलत रिपोर्ट अंकित की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधान यथा आदेश 5 नियम 19 के तहत तामील करवाने वाले अधिकारी की परीक्षा नहीं की जो उक्त प्रावधान के अनुसार आज्ञापक है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते समय इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष रेस्पो0/वादीगण द्वारा अपना राजस्व वाद विवादित आराजी के संबंध में असल तथ्यों का समावेशन करते हुए प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं न ही विवादित आराजी के समस्त राजस्व अभिलेख को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही किया था । विवादित आराजी के पूर्व राजस्व अभिलेख में अनुसूचित जाति के व्यक्ति यथा आसू पुत्र लादू बलाई के नाम अंकित है जिस पर राज0काश्त0अधी 1955 की धारा 42–बी के तहत किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है । प्रश्नगत आराजी हड़पने के लिये संपूर्ण प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रदीप कुमार जाति ब्राहमण तथाकथित पुत्र आसू नाम व्यक्ति द्वारा अधी0न्याया0 राजस्व कर्मचारियों के समक्ष सपांदित की गई । प्रदीप कुमार ने विवादित आराजी का नामांतकरण अपने नाम तस्दीक कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी हल्का से नियमानुसार जांच रिपोर्ट तलब किये जाने पर पटवारी हल्का ने विवादित भूमि पर गुमान पुत्र सूरजकरण बावरी, जूणदा का 50–60 वर्षो से कब्जा होना बताया है जिससे भी विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त

होना सिद्ध था । पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट दिनांक 10.3.2011 व 18.3.2011 के पश्चात् नामांतकरण संख्या 355 की पत्रावली ग्राम पंचायत त्योद के समक्ष पेश हुई जिस पर ग्राम पंचायत ने अपीलांट संख्या 1 गुमान को जरिये नोटिस तलब किया । बाद सूचना अपीलांट संख्या 1 ने दिनांक 6.4.2011 को ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि विवादित आराजी पर उसका गत् 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त है एवं आसू पुत्र लादू का इस आराजी से कोई संबंध नहीं है तथा प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र व सजरा प्रमाण सही नहीं है । ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 आदेश दिनांक 2.7.2011 से विवादित आराजी के बाबत् नामांतकरण संख्या 355 खारिज कर दिया गया । उक्त नामांतकरण के विरूद्ध प्रदीप कुमार ने अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को असल तथ्यों से परे रखकर विवादित आराजी का नामांतकरा बाला–बाला एकपक्षीय अपने नाम तस्दीक करवा लिया एवं विवादित आराजी अतिशीघ्र जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.12.2011 से मुकेश कुमावत पुत्र श्यामलाल कुमावत को बेचान कर दी तथा मुकेश कुमावत ने भी उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.6.2014 से वादीगण को बेचान कर दी । मूल विक्रेता प्रदीप कुमार का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं था इसलिये उक्त दोनों बेचान बगैर कब्जे के हुए है जो प्रारंभ से शून्य अंतरण की परिभाषा में आते है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पुराने राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 2028 से पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त आराजी आसू पुत्र लादू जाति बलाई के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी । खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2024 में आसू वल्द लादू की जाति अपठित अंकित है एवं उसके उपरांत के राजस्व अभिलेख में कही पर जाति अपठित है एवं कहीं पर ब्राहमण अंकित है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांटस का 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चले आने से अपीलांटस का कब्जाप्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में आने से राजस्व अभिलेख में अंकित आसू पुत्र लादू के नाम की कागजी प्रविष्टियां पूर्णतया शून्य है एवं उसके खातेदारी अधिकारों का धारा 63 (4) राज0काश्त0अधि0 के तहत समाप्त हो चुके थे । ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती क्रेताओं को हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं न ही अपीलांटस का कब्जा अतिक्रमी की श्रेणी मं आता है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय/आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । वादीगण ने वादपत्र में तहसीलदार को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नियुक्त नहीं किया जिससे भी वादीगण का वाद संधारण योग्य नहीं था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलांटस को जवाबदावा, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार मूल राजस्व वाद को निर्णित फरमाया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 1997 पेज 35, आर0बी0जे0 2007 पेज 141, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 111, आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 125, आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1329, डब्ल्यू0एल0एन0 (यू0सी0) पेज 2004, आर0आर0डी0 1984 पेज 111, आर0एल0डब्ल्यू0 2005 (5) पेज 509, आर0एल0डब्ल्यू0 2005 (5) पेज 26, आर0एल0डब्ल्यू0 2005 (1) पेज 131 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की पीठ पीछे उसे बिना सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटस को तत्समय नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.12.2015 को तब हुई जब संबंधित पटवारी हल्का ने विवादित आराजी के मौके पर आकर उन्हें कब्जा छोड़ने को कहा एवं कहा कि हमारे खिलाफ अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है । तब प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 से समस्त जानकारी प्राप्त कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी आसू पुत्र लादू ब्राहमण के नाम राजस्व अभिलखे में दर्ज थी । रेस्पो0 ने विवादित भूमि खातेदार मुकेश कुमावत पुत्र श्यामलाल कुमावत से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.6.2014 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । उक्त विक्रय पत्र की पालना में रेस्पो0 के नाम नामांतकरण संख्या 523 दिनांक 24.6.2014 को स्वीकृत हुआ है । अपीलांटस विवादित आराजी पर क्रय दिनांक से काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 के विक्रेता ने यह भूमि खातेदार प्रदीप कुमार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.12.11 को क्रय की थी । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि नामांतकरण संख्या 355 में द्वैषतावश कांट–छांट की गई है । यदि विवादित आराजी अनुसूचित जाति के सदस्य की है तो अपीलांटस ने पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में अब कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई । अपीलांटस ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अनुतोष चाहा है किन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है । अपीलांटस का यह कथन कि तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद संधारण योग्य नहीं था इस संबंध में कथन किया कि क्योंकि वादीगण/रेस्पो0 ने तहसीलदार से कोई अनुतोष नहीं चाहा था इसलिये पक्षकार नहीं बनाया गया है । तहसीलदार ने निर्णय व डिक्री की पालना में रेस्पो0 को विवादित आराजी का कब्जा दिनांक 2.12.2015 को ही संभलाया था इसके बावजूद अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी दिनांक 3.12.2015 को होने का कथन किया है जो असत्य कथन है । विवादित आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है वे केवल मात्र अपील के माध्यम से विवादित आराजी का पुनः कब्जा लेने का प्रयास कर रहे है । जहां तक तामील नहीं होने का प्रश्न है अपीलांटस द्वारा किया गया कथन गलत है क्योंकि तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस दिये जाने पर अपीलांटस द्वारा लेने से इंकार करने पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर कर चस्पानगी से तामील कराई गई है । तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट अपने आप में शपथ पत्र है । विवादित भूमि के संबंध में हमने खसरा गिरदावरियां पेश की है जिससे हमारा कब्जा काश्त होना साबित है इसके विपरीत अपीलांटस ने विवादित भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । हमारे द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों में आसू वल्द लादू कौम ब्राहमण अंकित है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर वाद को निर्णित किया है जिसमें किसी

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 227 एवं आर0आर0डी0 2011 पेज 508 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह जाहिर है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटस को प्रकरण में अपने हितों का रक्षण करने का अवसर नहीं मिला । प्रकरण में सम्यक तामील होना भी संदेहास्पद है इससे अपीलांट को विधि सूचना प्राप्त होना नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में जब अपीलांट को विधिवत् सूचना ही प्राप्त नहीं हुई तो उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी भी समय पर होना संभव नहीं था । अतः अपील निर्धारित मियाद अवधि में प्रस्तुत करना संभव नहीं था । इस बाबत् अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में भी सशपथ कारण अंकित किये गये है । उल्लेखित कारण पर्याप्त व सद्भाविक प्रतीत होते है । हाजा न्यायालय का यह मानना है कि " प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना की जानी चाहिये तथा यथासंभव प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये ताकि न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके । " हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित है । अतः धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया हम सर्वप्रथम तामील के बिन्दू बाबत् विवेचन करना उचित समझते है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर मौजूद प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जारी सम्मन संख्या 642-44 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तामील कुनिन्दा द्वारा अधी0न्याया0 के आदेश के बिना ही अपने स्तर पर चस्पानगी से तामील करवाई गई है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा भी इसे पर्याप्त तामील मानते हुए प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश प्रसारित किये है । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1997 ए0आइ0आर0 पेज 35, आर0बी0जे0 2007 पेज 141, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 111 का ससम्मान अवलोकन किया गया । इन न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चस्पानगी से पूर्व न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त किया जाना चाहिये । इसके साथ ही सर्वप्रथम व्यक्तिगत तामील हेतु प्रयास किये जाने चाहिये तत्पश्चात् न्यायालय के आदेश से ही प्रतिस्थापित तामील करवाई जानी चाहिये । हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा तामील के संबंध में उक्त न्यायिक दृष्टांतों में अभिनिर्धारित महत्वपूर्ण सिद्धांतों की पालना किया जाना जाहिर नहीं होता है । यही नहीं परीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में चस्पानगी से तामील करवाने वाले तामील कुनिन्दा को भी आदेश 5 नियम 19 जा0दी0 के तहत परीक्षित नहीं किया गया है । यही नहीं पत्रावली पर उपलब्ध नोटिसों की प्रतियों की पुस्त पर हल्फिया रिपोर्ट का अंकन भी पूर्ण रूप से नहीं किया गया है तथा इससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस कोन सी दिशा के मकान में रहते है तथा मकान के किस दिशा में नोटिस को चस्पा किया गया है । हल्फिया रिपोर्ट को तामील कुनिन्दा द्वारा सही रूप से सत्यापित भी नहीं किया गया है । इससे जाहिर है कि सरसरी तौर पर तामील हेतु कार्यवाही की

गई है । ऐसी तामील को पर्याप्त तामील एवं सम्यक तामील की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । इससे निश्चित रूप से अपीलांटस को विधिवत् रूप से सूचना प्राप्त नहीं हो पायी तथा वे अधी0न्याया0 में अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहे तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं हुई है । विधि का यह सिद्धांत है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने समुचित रूप से न्याय नहीं किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् रूप से पारित किया हुआ नहीं माना जा सकता है । सम्यक तामील के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये है वे उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है ।

9. प्रकरण में दौराने बहस अपीलांटस द्वारा विवादित आराजी के स्वत्व के दोषपूर्ण होने बाबत् कथन किया गया है जिसमें उन्होंने प्रश्नगत आराजी का स्वामित्व पूर्व में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से होना बताया है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्तमान जमाबंदी (संवत् 2069 से 2072) में वादीगण/रेस्पो0 का नाम दर्ज है । इससे पूर्व जमाबंदी के आधार पर निर्मित्त खसरा गिरदावरी संवत् 2018 में कृषक के कॉलम में मोहनसिंह का नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2024 में कृषक के कॉलम में आसू वल्द लादू जाति अपठित दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 2028 में कृषक के कॉलम में आसू वल्द लादू कौम बलाई दर्ज है । इसके पश्चात् जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में आसू पुत्र लादू, जाति ब्राहमण का नाम दर्ज है । इसी आराजी बाबत् नामांतकरण संख्या 355 का अवलोकन करने पर पाया गया कि बतौर विरासत नामांतकरण प्रदीप कुमार पुत्र आसू जाति ब्राहमण के नाम से दर्ज किया गया है । इस नामांतकरण पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट में आराजी का कब्जा वर्तमान अपीलांटस का बताया गया है तथा इसकी पुष्टि भी आई0एल0आर0 ने दिनांक 18.3.2011 एवं ग्राम पंचायत त्यौद द्वारा इसकी पुष्टि प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 2.7.2011 से की गई है । इस सर्वसम्मत प्रस्ताव में कब्जा अपीलांटस का बताया गया है तथा भूमि को विवादित बताया गया है । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जाहिर किया कि रेस्पो0 वर्तमान में भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा अपीलांटस ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है । रेस्पो0 अभिभाषक का यह कथन सही है कि वर्तमान में रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है तथा उन्होंने गैर अनुसूचित जाति वर्ग से भूमि को क्रय किया है । किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव में अपीलाधीन भूमि पर कब्जा अपीलांटस का बताया जाकर इसे विवादित बताया गया है । इस संबंध में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 2014 आर0आर0डी0 पेज 268 का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में मान0 मण्डल की खण्डपीठ ने दोषपूर्ण स्वत्व होने से बेदखली का उपचार उपलब्ध नही होने बाबत् अभिनिर्धारण किया है ।

10. विवादित आराजी बाबत् उक्तानुसार तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए हम प्रकरण में न्यायहित एवं राज्य हित में तहसीलदार, रूपनगढ़ को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करना उचित समझते है ताकि प्रकरण में सही वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाकर समुचित न्याय निर्णयन हो सके ।

11. उपरोक्तानुसार विधिक त्रुटियों के मध्यनजर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को विधिसंगत नहीं माना जा सकता है तथा इस कारण यथावत् नहीं रखा जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.

2015 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, रूपनगढ़ को मूल वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर उभयपक्षों को साक्ष्य, सबूत, जवाबदेही एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

13. निर्णय आज दिनांक 1.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**